

(क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या	54
(ख)	ऐसे निर्णयों की संख्या जिनमें आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे उपबंध जिनके अंतर्गत ये निर्णय किए गए और कितनी बार ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया	<ol style="list-style-type: none"> (1) 9 आवेदकों को, उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेज दिए गए थे। (2) 17 आवेदकों को, उनके द्वारा मांगी गई सूचना/स्थिति दी गई थी। (3) 1 आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था। 1 आवेदन को आंशिक रूप से अस्वीकृत कर दिया गया था। (4) 13 आवेदकों से अपेक्षित आवेदन शुल्क/दस्तावेज प्रभार/स्पष्टीकरण जमा करने के लिए कहा गया था। आवेदकों ने उत्तर नहीं दिया। (5) 10 आवेदन संबंधित जन प्राधिकारी को हस्तान्तरित किए गए थे जैसाकि उनसे संबंधित सूचना मांगी गई थी। (6) 2 अपीलें आयोग के अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्राप्त की गई हैं। दोनों का उत्तर दे दिया गया है। (7) 5 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। (8) आयोग को हस्तान्तरित किया गया 1 आवेदन, उस जन प्राधिकारी को लोटा दिया गया था जिससे यह प्राप्त किया गया था, चूंकि वह आयोग से संबंधित नहीं था। (9) 1 आवेदक ने अपना सम्पर्क पता दर्शाया नहीं है।
(ग)	केन्द्रीय सूचना आयोग को समीक्षा के लिए संदर्भित अपीलों की संख्या, अपीलों का स्वरूप और अपीलों के परिणाम	शून्य
(घ)	इस अधिनियम के प्रशासन के संदर्भ में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण	शून्य
(ङ.)	इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा संग्रहित प्रभारों की धनराशि	<p>सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियमन) नियम, 2005 के अंतर्गत विहित दरों के अनुसार प्रभार की धनराशि एकत्रित की जा रही है। 30.09.2006 को समाप्त तिमाही के दौरान एकत्रित की गई कुल धनराशि निम्नानुसार है:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन शुल्क के लिए- 290/- रूपए 2. दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रभार - 2065/- रूपए
(च)	इसकी मूल भावना के अनुरूप कार्रवाई करने और क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने वाले विवरण	निर्वाचन, निर्वाचन विधि, दिशा-निर्देश, अनुदेश, मैनुअल, सांख्यिकीय रिपोर्ट, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल शपथ-पत्र, निर्वाचन परिणाम, प्रेस विज्ञप्तियां, निर्वाचनों की अधिसूचनाएं इत्यादि से संबंधित अधिकांश सूचना जन साधारण की सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर पहले से ही डाली जा चुकी है।
(छ)	सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव। सुझाव में वे भी सम्मिलित होंगे जो अधिनियम में संशोधन के लिए साधारण विधि के अन्य विधायन या सूचना के प्रति अभिगम्यता के अधिकार को कार्य-रूप देने से सुसंगत कोई अन्य मामले के विकास, बेहतरी, आधुनिकीकरण, सुधार के लिए अपेक्षित हों।	शून्य